(iv) Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans (SITRA)

(b) Loan schemes under IRDP are not free of interest. Immovable securities are not required for loans sanctioned for creation of movable assets upto a limit of Rs. 25,000/-. For loans above Rs. 25,000/- immovable securities will be required. However, in cases where movable assets are not created (e.g. dug wells, development of land etc.), mortgage of land/ third party guarantee, is required as security even for loans below Rs. 25,000/

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

4712. **श्री गोविन्दराम मिरीः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के (डी०पी०ए०पी०) के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं और उन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्छ के सीमावर्ती जिले को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कुल कितनी धनराशि की मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लखागौड़ा पाटिल): (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भूमि विकास, जल संसाधन विकास, वनरोपण एवं चरागाह विकास के माध्यम से कार्यक्रम के क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार का विकास करना है। तदनुसार, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर 1994-95 तक भूमि विकास, जल संसाधन विकास, वनरोपण तथा चरागाह विकास के अंतर्गत देश में उपचारित वास्तविक क्षेत्र नीचे दिया गया है:—

('000 हैक्टेयर में)

(1) भूमि विकास	:	3444.16
(2) जल संसाधन विकास	:	1135.84
(3) वनरोपण एवं चरागाह विकास	:	2157.68

उसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई 4362 वाटरशैड विकास परियोजनाएं अभी तक चल रही हैं। उनके पूरा होने के पश्चात् प्रत्येक परियोजना लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डी०पी०ए०पी० के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई वर्षवार राशि विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) 1995-96 तक कच्छ के सीमावर्ती जिले को डी०पी०ए०पी० के अंतर्गत आबंटित राशि 30.08 करोड़ रुपए थी। उसके बाद कच्छ में डी०पी०ए०पी० का कार्य डी०डी०पी० को सौंप दिया गया। डी०पी०ए०पी० के लिए निधियां निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही आबंटित की गई थीं।

विवरण

डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत केन्द्रीय रिलीज

(रुपए लाख में)

राज्य	1992-93 केन्द्रीय रिलीज	1993-94 केन्द्रीय रिलीज	1994-95 केन्द्रीय रिलीज	1995-96 केन्द्रीय रिलीज	1996-97 केन्द्रीय रिलीज
1. आंध्र प्रदेश	631.50	1201.50	1093.86	2106.55	2619.63
2. बिहार	382.87	434.11	568.13	724.71	34.00
3. गुजरात	371.44	559.12	617.35	1013.96	731.06
4. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	66.50	194.00
5. जम्मू कश्मीर	166.80	111.37	266.75	260.29	198.00

राज्य	1992-93 केन्द्रीय रिलीज	1993-94 केन्द्रीय रिलीज	1994-95 केन्द्रीय रिलीज	1995-96 केन्द्रीय रिलीज	1996-97 केन्द्रीय रिलीज
6. कर्नाटक	571.55	846.46	1034.00	1159.04	493.55
7. मध्य प्रदेश	404.50	575.39	672.50	1938.70	2118.94
8. महाराष्ट्र	627.35	967.54	1109.00	1721.31	1260.73
9. उड़ीसा	430.47	421.17	516.50	403.84	295.00
10. राजस्थान	256.99	519.51	426.50	643.77	152.00
11. तमिलनाडु	365.26	682.17	622.12	532.49	1223.56
12. उत्तर प्रदेश	693.00	1036.53	1148.78	1093.16	1649.57
13. पश्चिम बंगाल	155.15	229.88	302.86	230.33	28.29
14. हरियाणा*	67.50	101.25	112.50	15.41	1.86
कुल	5124.38	7686.00	8490.85	11910.06	11000.19

* इसे अब डी०पी०ए०पी० से बाहर कर दिया गया है।

Housing development etc. in villages

4713. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state the steps proposed to accelerate non-farm activity and housing development in villages?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): The Ministry is implementing Indira Awaas Yojna with the objective of providing dwelling units to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Freed bonded labourers and Non-SC/ST poor below poverty line living in rural areas. The budgetary allocation for Rural Housing has been hiked by Rs. 410 crore in 1998-99 over the previous year, to Rs. 1600 crore. In addition, there are opportunities for engaging in off-farm activities by tapping the range of wage/self-employment schemes.

Drinking water facility in the villages of Gujarat

4714. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of villages in gujarat having proper drinking water facility round the year;

(b) the details of villages having seasonal difficulty; and

(c) the number of villages which have been declared as having "No Source" of drinking water?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (c) The status of coverage of rural habitations of Gujarat with safe drinking water facilities as on 1.4.98 as per information furnished by the State Government is as under:—

Not covered habitation	1008
Partially covered habitation	5898
Fully covered habitations	23363